राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः **प.1(1)चि.स्वा./2/2021** जयपुर, दिनांकः 15.05.2021

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) डायरी संख्या 11622/2021 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2021 में राज्यों को आवण्टित मेडिकल ऑक्सीजन के राज्य में आपूर्ति एवं समुचित वितरण का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु नेशनल टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिये गये थे। इस टास्क फोर्स के अन्तर्गत राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में उपसमूहों का गठन किया जाना व्यादिष्ट किया गया है।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशानुसार राज्य स्तर पर निम्नानुसार ऑक्सीजन ऑडिट उपसमूह का गठन किया जाता हैः–

1. श्री संजय लोहिया, अतिरिक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार।
2. श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान–संयोजक।
3. डॉ॰ मानप्रकाश शर्मा, विभागाध्यक्ष (ईएनटी) एवं पूर्व अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
4. डॉ॰ सुशील भाटी, वरिष्ठ आचार्य (निश्चेतन), सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
5. श्री अजय सिंह, डिप्टी चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, पेसो (PESO), भारत सरकार।

उक्त उप समूह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) डायरी संख्या 11622/2021 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2021 में प्रदत्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।

आज्ञा से,

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान।
4. डॉ॰ मानप्रकाश शर्मा, विभागाध्यक्ष (ईएनटी) एवं पूर्व अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. डॉ॰ सुशील भाटी, वरिष्ठ आचार्य (निश्चेतन), सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
6. श्री अजय सिंह, डिप्टी चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, पेसो (PESO), भारत सरकार।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव